शाहजहांपुरपुलिस

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 05.12.2024

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा षड़यन्त्र करके योजनाबद्ध तरीके से दिन दहाड़े ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या की घटना में शामिल एक अन्य नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के नेतृत्व में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने निकट निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी मो0 श्यामतगंज गौटिया, निकट गौटिया मंदिर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 800/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/103(1) बी.एन.एस. बनाम अरविन्द वर्मा आदि 14 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर नांमजद अभियुक्त 1. आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ पुत्र सत्यपाल निवासी मोहल्ला गदियाना थाना सदरबाजार जनपद शाहजहांपुर व 2. आर्यन उर्फ शुभांकर पुत्र स्व शिवराज निवासी क्वाटर नं.1 F13 डबल स्टोरी ओ.सी.एफ स्टैट थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर 3. काजल पुत्री महेश पाल, नि0 निकट एल.आई.सी. पेट्रोल पम्प, अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर को दिनांक 03.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ की निशांदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किये गये थे।

विवेचना से प्राप्त ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर तथा गिरफ्तार किये गये उपरोक्त तीनो अभियुक्तो के बयानो के आधार पर इस अभियोग मे अभियुक्त 1. मोहित पुत्र राममूर्ति नि0 मो0 चमकनी गाडीपुरा, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहांपुर 2. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ नि0 मिश्रीपुर, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहांपुर के नाम प्रकाश में आये हैं तथा इस मामले में नामजद अभियुक्त 1. पीयूष राठौर पुत्र सर्वेश राठौर निवासी मोहल्ला जलालनगर बजरिया, थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर एवं प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 2. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ एवं 3. मोहित पुत्र राममूर्ति को दिनांक 05.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त मोहम्मद आदिल पुत्र मोहम्मद हासिम नि0 मो0 तारीन जलालनगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार करने में थाना सदर बाजार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। उपरोक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना में अपने अन्य साथियों के साथ शामिल होने के जुर्म का इकबाल करते हुए मृतक आयुष गुप्ता को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाकर झगड़ा करने के लिए रामलीला मैदान में अन्य लडकों के साथ भेजने आदि के बार में महत्वपूर्ण तथ्य बताये हैं, जिनके सम्बन्ध में दोनों पक्षों के लडकों के इकट्ठा होने तथा रामलीला मैदान तक आने तथा घटना के बाद भागने के रास्तों की गहराई से छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज को चैक करके साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं। इसके अलावा इस

घटना मे नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना मे शामिल अन्य अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने के लिए चार टीमें लगायी गई हैं। शीघ्र ही इस घटना में शामिल अभियुक्तों एवं दोनों पक्षों के लड़को को उकसाकर गम्भीर घटना कारित कराने वालों की पहचान कराकर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार उक्त अभियोग में अब तक कुल 07 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा नि0 मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 05.12.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मोहम्मद आदिल पुत्र मोहम्मद हासिम नि0 मो0 तारीन जलालनगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त की गई एक निवाड़ की बेल्ट व एक अदद स्कूटी जूपीटर टी0वी0एस0 रंग गोल्डन रजि0नं0 UP27AP4085 चेसिस नं0 MD626EG44K1A11492 इंजन नं0 EG4AK1X25686

गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना सदर बाजार

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह,
2. उ0नि0 प्रदीप शर्मा
3. उ0नि0 अविनाश पुण्डीर,
4. उ0नि0 कृष्णपाल सिंह,
5. उ0नि0 जगेन्द्र प्रताप सिंह,
6. उ0नि0 ललित शर्मा
7. का0 1998 नरेन्द्र कुमार,
8. कां0 2070 मोनू,
9. कां0 1893 पुष्पेन्द्र,